कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–शामली (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक/मान्यता/4132 /2025–26 दिनांकः 03-11-2025

प्रबन्धक,

लॉर्ड कृष्णा एकेड़मी
डांगरौल, विकास क्षेत्र–कांधला
जनपद–शामली।

महोदय,

आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांकः–मान्यता/13698–13700/2017–18 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा मण्ड़लीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक अंग्रेजी माध्यम **(विद्यालय मान्यता कोड संख्याक–02)** की मान्यता का पत्र 03 वर्ष की अवधि के लिये **(दिनांक 27.03.2018 से 26.03.2021 तक)** निर्गत किया गया था।

आपने उक्त मान्यता स्थायीकरण के सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2025 किया है। आपके आवेदन दिनांक 18.10.2025 के अनुक्रम में शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश पत्र पत्रांक शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274–371/2025–26 दिनांक 10.10.2025 के अनुपालन में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 एवंम शासनादेश संख्या–418/79–6–2013–एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर 13 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार **"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता 03 वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लघंन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो 03 वर्ष की अवधि पूरी होने पर मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"** खण्ड़ शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र कांधला जनपद–शामली की जांच आख्या दिनांक 31.10.2025 के अनुसार मान्यता की शर्तों के उल्लघंन से सम्बन्धित कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है। इसलिए विद्यालय की उक्त मान्यता स्थायी हो गयी है।

अतः उक्तानुसार आपका आवेदन दिनांक 18.10.2025 निस्तारित किया जाता है।

भवदीय।

(लता राठौर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली। 03-11-25

Parveen
MANAGER
LORD KRISHNA ACADEMY
DANGROL (SHAMLI)247775

PRINCIPAL
LORD KRISHNA ACADEMY
DANGROL (SHAMLI)247775

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/मान्यता/ 38274-371 /2025–26 दिनांक 10/10/ 2025

विषयः अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या–418/79–6–2013–एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर–13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है–

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3– 2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर–13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल) 10.10.25
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/मान्यता/ 38274-371 /2025–26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
3– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

Parveen
MANAGER
LORD KRISHNA ACADEMY
DANGROL (SHAMLI)247775

PRINCIPAL
LORD KRISHNA ACADEMY
DANGROL (SHAMLI)247775

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

लॉर्ड कृष्णा एकेडमी डांगरौल
विकास क्षेत्र कांधला—शामली।

पत्रांकः—मान्यता/13698-13700 /2017—18 दिनांक— 31-3-18

विषय—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम—2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं लॉर्ड कृष्णा एकेडमी डांगरौल विकास क्षेत्र कांधला जनपद शामली को दिनांक 27—03—2018 से दिनांक 26—03—2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 के लिए अनंतिम मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए क़ोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (उपबंध—1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबंध—2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस—पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा—विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

   I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

Parveen

MANAGER
LORD KRISHNA ACADEMY
DANGROL (SHAMLI)247775

PRINCIPAL
LORD KRISHNA ACADEMY
DANGROL (SHAMLI)247775

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।

VIII. अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

➢	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8200 व०मी०
➢	कुल निर्मित क्षेत्र	896 व०मी०
➢	कीडा स्थल का क्षेत्रफल	200 व०मी०
➢	कक्षाओं की संख्या	10
➢	प्रध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	उपलब्ध है।
➢	बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
➢	पेयजल सुविधा	उपलब्ध है।
➢	मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	नही है।
➢	बाधारहित पहुॅच	है।
➢	अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	है।

Parveen
MANAGER
LORD KRISHNA ACADEMY
DANGROL (SHAMLI)247775

PRINCIPAL
LORD KRISHNA ACADEMY
DANGROL (SHAMLI)247775

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 02 है। कृप्या इसे नोट कर लें ओर इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो ओर समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सत्त अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय के उपलब्ध स्थान के कक्षा–कक्षों में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट तक की सीमा तक ही प्रवेश सुनिश्चित करें।
18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(चन्द्रशेखर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

पृ0सं0/मान्यता/ 13698-13700 **/2017–18 तददिनांक।**
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद–शामली।
3. कार्यालय गार्ड पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

Parveen
MANAGER
LORD KRISHNA ACADEMY
DANGROL (SHAMLI)247775

PRINCIPAL
LORD KRISHNA ACADEMY
DANGROL (SHAMLI)247775